

नकल गैर ज०वि० खाता खतौनी

रा०उ०नि० क्षेत्र – हरड़ा

तहसील सल्ट (खुमाड़)

जिला अल्मोड़ा

श्रेणी : 9 (3) ड़ बंजर काबिल आबाद

खाता सं०	खातेदार का नाम	गाटा सं०	रकबा	आदेश
73	बंजर काबिल आबाद	3 5 8 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 826 835 857 862 864 874 886 887 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2677 2707 2709 2716 982/2723	33.745 0.035 0.050 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0.006 0.019 0.008 65.350 0.186 0.038 0.688 0.310 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0.015 0.166 0.009 0.041 0.240	शासनादेश सं० 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसंबर 2012 एवं जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं० 2991/ग्यारह-01/2019-20 दिनांक 28-2'-2010 के अनुसार ग्राम पीपनाकोला – रणकोना – मोहाली मोटर मार्ग के क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बौड तल्ला के गैर ज०वि० खाता खतौनी सं० 120 के श्रेणी 9(3)ड़ में अंकित खेत सं० 862 मध्ये रकबा 8.370 हे० भूमि वन प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तांतरित की जाती है। ह० पटवारी हरड़ा
	योग	283	145.930	

रा०उ०नि०
हरड़ा

आदेश

अधिसभा अधिवेशन पञ्जीयत खण्ड सनीयत द्वारा ज्ञापित
 पीपन्नाकोला-सणकना गोहाली मन्त्रालय परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.185 हेक्टेयर
 के अतिथूरक-वृक्षारोपण हेतु दुर्गुनी अजयपुर की कुल 8.370 हैक्टेयर सिविल भूमि को नियमानुसार
 प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तर्गित होमान्तरित किया जाने का अनुरोध किया गया है ।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सल्त खुमाङ से नियमानुसार जाँच कराया गया है। जिलाधिकारी, सल्त के पत्र संख्या 565/पेशकार, 2018-19, दिनांक 26-08-2019 तथा पत्र संख्या 107/पेशकार, 2019-20, दिनांक 31 जनवरी 2020 द्वारा अपनी अगल्ला प्रस्तुत की गयी है। प्रधान सचिव, नगर संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में अनुसंधान संस्थान परिसर, पी०ओ० न्यू फॉरेस्ट, देहरादून के पत्र सं० 08वीं/यू०सी०पी०/06/150/2016 एफ०सी०/1450 दिनांक 09-12-2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। प्रस्तावित क्षतिपूर्क कृषि भूमि का ग्राम-बीड-तुला, के मै०जो०वि०ख०खा०संख्या-120 की श्रेणी- 9(3)ड वर्गीकरण प्राप्त है। भूमि के पैमाइशों खेत नम्बर 862 मध्ये रक्का 8.370 हेक्टर सिविल भूमि को वन विभाग ने हस्तान्तरित, नामान्तरित किये जाने की प्रस्तुति की गयी है।

हस्तान्तरित, नामान्तरित, किये जाने की प्रस्तुति की गयी है।
 अग्रे शास्त्ररत्न अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या
 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के अंतर्गत प्रदान की गयी है।
 उपर्युक्त करत हुए इस जिल्लाधिकारी सन्त एगुमाड गरी संस्तुति के आधार पर ग्राम-बौड तहसील में
 निर्देशक क्षेत्र संख्या तहसील-... के पै0ज0वि0ख0खा0रांख्या--120 की श्रेणी- 9(3)अ संज्ञक को नाम
 आनाद भूमि के पैगाईसी खेत नम्बर 862 मध्ये रकबा 8.370 हैक्टेयर सिविल भूमि वन विभाग के अधीन
 निधन में हस्तान्तरित की जाती है।

नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी जन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कर
दिनांक-

(निरतिन सिंह मन्नीरिया)
जिला अधिकाारी,
अल्मोडा ।

संख्या--२१५१ / ग्यारह- ०१ / २०१९-२०

दिनांक: 28-7-2020 ।

प्रतिनिधि निम्नांकितों को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमार्गमन्त्रनाधिकारी, प्रमार्ग मन्त्र परामर्श, अल्मोडा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रमार्ग मन्त्र लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा।
- 3- उप जिलाधिकारी, सल्लू खुमण्ड, जनपद अल्मोडा।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, प्रमार्ग मन्त्र खुमण्ड, एम0नि0मि0राभीखेत, जनपद अल्मोडा।
- 5- तहसीलदार, सल्लू खुमण्ड का जमानपुरात अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये पत्रित।

(निम्नलिखित विधायक)
 जिला अधिकारी
 अहमदाबाद

सीमांकन

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 07-09-2023 को जनपद अल्मोड़ा में

निम्न बिन्दुओं पर GPS माप

1- N 29° 35' 20"
E 79° 09' 59"

2- N 29° 35' 18"
E 79° 09' 18"

3- N 29° 35' 18"
E 79° 09' 18"

4- 29° 35' 19"
79° 09' 55"

5- 29° 35' 24"
79° 09' 58"

6- 29° 35' 25"
79° 09' 57"

विधान सभा क्षेत्र सहर के अन्तर्गत पीपनाबोला-रणकुना-गोहली मोटर मार्ग के श्रतिहरा-वृक्षारोपण भूमि का सीमांकन संयुक्त निरीक्षण ग्राम कौडलल्ला परबारी क्षेत्र हरणा तहसील सहर में प्रभागीन वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के कार्यालय पर्याप्त संख्या 896/12-1 (2) दिनांक 18-08-2023 के अनुपालन में वन विभाग, राजस्व विभाग तथा लोक-निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया ग्राम कौडलल्ला की पूर्व से वर्तमान 8.370 हे० भूमि के खसता खसरा नम्बरो का सीमांकन कर चक्के लोहे के खंखील भूमि में गाड़ गये।

अतः श्रतिहरा-वृक्षारोपण क्षेत्र भूमि की सीमांकन

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

गोविन्द सिंह कनवाल
अमान
आ० खण्ड ला० नि० वि०
सनीरबत

मुकेश चन्द
रा० उ० नि० हरणा

मुकेश कुमार
वनवीर माधिकारी
वीर शैलम्